संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, M.P.
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462 004.

//ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग//

B.Arch., HMCT, M.E/M.Tech., M.Pharm.

निर्धारित सहायता केन्द्रों के लिये दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निर्देश

बी.आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नालॉजी, एम.ई./एम.टेक. तथा एम.फार्मेसी पाठयक्रम के लिये उम्मीदवारों से दिनांक 4 अगस्त, 2010 तक ऑनलाइन आवेदन मंगाये गये थे तथा इन पाठ्यक्रमों के लिये ऑनलाइन काउंसिलिंग का कार्यक्रम वेबसाइट तथा प्रिंटमीडिया में जारी कर दिया गया है। चूंकि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन सहायता केन्द्रों पर किया जाना है अतः दस्तावेजों के सत्यापन करते समय जिन बातों को ध्यान में रखना है उनकी चेकलिस्ट निम्नानुसार है:–

B.Architecture

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु Council of Architecture (COA) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा NATA-2010 के तथा अर्हकारी परीक्षा के संयुक्त प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर आवंटन किये जाते हैं अतः दस्तावेजों के सत्यापन में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करें:–

1. उम्मीदवार द्वारा लाये गये फार्म में मुद्रित Application Number को Enter करने के उपरांत उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरी गई जानकारियां स्क्रीन पर आयेंगी । आपको केवल उन्हीं फील्ड्स का सत्यापन/जांच करनी है जो आपके लिये Enabled है, तथा आवश्यकता पड़ने पर उनमें सुधार/संशोधन करें।
2. NATA-2010 के स्कोर कार्ड में प्राप्तांकों का मिलान ऑनलाइन फार्म में भरे अंकों से करें। यदि अंकों में अंतर है तो उसे सुधार दें। NATA-2010 का स्कोर 80 से कम होने पर उम्मीदवार Not Eligible होगा।
3. उम्मीदवार अर्हकारी परीक्षा गणित विषय के साथ 10+2 की 12वीं की परीक्षा अथवा किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा (10+3) की परीक्षा में 50 प्रतिशत कुलांक (मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी SC, ST, OBC-Excluding Creamy Layer के उम्मीदवारों के लिये 45 प्रतिशत) के साथ उत्तीर्ण की हो, के अंकों का सत्यापन करना है तथा इससे कम अंक होने पर उम्मीदवार Not Eligible होगा।
4. आरक्षण की सुविधा केवल मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये उपलब्ध है अतः यह सुनिश्चित करें कि जाति प्रमाण–पत्र एवं मूलनिवासी प्रमाण–पत्र ''वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य'' से जारी किया गया हो।

Hotel Management & Catering Technology

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर आवंटन किये जाते हैं अतः दस्तावेजों के सत्यापन में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करें:–

1. उम्मीदवार द्वारा लाये गये फार्म में मुद्रित Application Number को Enter करने के उपरांत उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरी गई जानकारियां स्क्रीन पर आयेंगी । आपको केवल उन्हीं फील्ड्स का सत्यापन/जांच करनी है जो आपके लिये Enabled है, तथा आवश्यकता पड़ने पर उनमें सुधार/संशोधन करें।

2. उम्मीदवार ने अर्हकारी परीक्षा किसी भी विषय के साथ 10+2 की 12वीं की परीक्षा 50 प्रतिशत कुलांक (मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी SC, ST, OBC-Excluding Creamy Layer के उम्मीदवारों के लिये 40 प्रतिशत) के साथ उत्तीर्ण की हो, के अंकों का सत्यापन करना है तथा इससे कम अंक होने पर उम्मीदवार Not Eligible होगा।

3. आरक्षण की सुविधा केवल मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये उपलब्ध है अतः यह सुनिश्चित करें कि जाति प्रमाण–पत्र एवं मूलनिवासी प्रमाण–पत्र ''वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य'' से जारी किया गया हो।

M.E./M.Tech.

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु Valid GATE–2010 Qualified स्कोर कार्ड है (GATE–2009 मान्य नहीं है) तथा/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर आवंटन किये जाते हैं। सर्वप्रथम Valid GATE–2010 Qualified स्कोर के आधार पर आवंटन जारी किये जायेंगे तत्पश्चात रिक्तियां होने पर अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर आवंटन जारी किये जावेंगे। अतः दस्तावेजों के सत्यापन में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करें:–

1. उम्मीदवार द्वारा लाये गये फार्म में मुद्रित Application Number को Enter करने के उपरांत उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरी गई जानकारियां स्क्रीन पर आयेंगी । आपको केवल उन्हीं फील्ड्स का सत्यापन/जांच करनी है जो आपके लिये Enabled है, तथा आवश्यकता पड़ने पर उनमें सुधार/संशोधन करें।
2. Valid GATE–2010 Qualified के स्कोर कार्ड में Percentile का मिलान ऑनलाइन फार्म में भरे अंकों से करें। यदि Percentile अंकों में अंतर है तो उसे सुधार दें।
3. अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अर्हकारी परीक्षा 55 प्रतिशत कुलांक जबकि मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी–केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, का सत्यापन करना है तथा इससे कम अंक होने पर उम्मीदवार Not Eligible होगा। अतः यह सुनिश्चित करें कि भरे अंक सही हैं अन्यथा उनमें तदनुसार संशोधन कर दें।
4. समस्त उम्मीदवारों को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष के थ्योरी अंकों को ऑनलाइन भरा जाना था अतः यह सुनिश्चित करें कि भरे अंक सही हैं अन्यथा उनमें तदनुसार संशोधन कर दें।
5. आरक्षण की सुविधा केवल मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये उपलब्ध है अतः यह सुनिश्चित करें कि जाति प्रमाण–पत्र एवं मूलनिवासी प्रमाण–पत्र ''वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य'' से जारी किया गया हो।

M.Pharmacy

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु Valid GPAT–2010 Qualified स्कोर कार्ड है तथा/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर आवंटन किये जाते हैं। सर्वप्रथम Valid GPAT–2010 Qualified स्कोर के आधार पर आवंटन जारी किये जायेंगे तत्पश्चात रिक्तियां होने पर अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर आवंटन जारी किये जावेंगे। अतः दस्तावेजों के सत्यापन में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करें:–

1. उम्मीदवार द्वारा लाये गये फार्म में मुद्रित Application Number को Enter करने के उपरांत उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरी गई जानकारियां स्क्रीन पर आयेंगी । आपको केवल उन्हीं फील्ड्स का सत्यापन/जांच करनी है जो आपके लिये Enabled है, तथा आवश्यकता पड़ने पर उनमें सुधार/संशोधन करें।
2. Valid GPAT–2010 Qualified के स्कोर कार्ड में Percentile का मिलान ऑनलाइन फार्म में भरे अंकों से करें। यदि Percentile अंकों में अंतर है तो उसे सुधार दें।
6. अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अर्हकारी परीक्षा 60 प्रतिशत कुलांक जबकि मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी–केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये 54 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, का सत्यापन करना है तथा इससे कम अंक होने पर उम्मीदवार Not Eligible होगा। अतः यह सुनिश्चित करें कि भरे अंक सही हैं अन्यथा उनमें तदनुसार संशोधन कर दें।
3. अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष के थ्योरी अंकों को ऑनलाइन भरा जाना था अतः यह सुनिश्चित करें कि भरे अंक सही हैं ।
4. आरक्षण की सुविधा केवल मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये उपलब्ध है अतः यह सुनिश्चित करें कि जाति प्रमाण–पत्र एवं मूल–निवासी प्रमाण–पत्र ''वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य'' से जारी किया गया हो।